PROGRAMME OF CULTURAL EXCHANGES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA FOR THE PERIOD SEPTEMBER 2003-DECEMBER 2006.

The Government of the Republic of India and the Government of the Co-operative Republic of Guyana;

DESIROUS of strengthening and developing friendly relations and cooperation between the two countries and their peoples; inspired by their common desire to broaden their relations in the cultural field.

Recalling the Cultural Agreement concluded at Georgetown on 30th December 1974, between the Government of the Republic of India and the Government of the Co-operative Republic of Guyana.

Have agreed on the following Programme of Cultural Exchange Programme for the period September 2003 – December 2006.

I. ART AND CULTURE

Article 1

The Indian Culture Centre (Guyana) and the Ministry of Culture, Youth and Sport of Guyana will cooperate, inter alia, through the sharing of resource personnel and information.

Article 2

The Ministry of Culture, Youth and Sport will host a Cultural Troupe from India to visit and perform in Guyana during the first week of May 2004.

- While selecting performers for the Cultural Troupe, special representation may be given to those regions in India from where cultural performances may be of special interest in Guyana.
- The groups will be performing the traditional folk dances, music, songs etc. that are still practised in Guyana.

Article 3

Both sides will exchange one Archivist each for a period of two weeks to exchange views and to locate material of each others interest available in respective archives for mutual exchange of copies of such records, subject to rules and regulations.

Article 4

The National Archives of India will provide training facilities in Archives Administration / Records Management / Conservation of Records to officials from Guyana in the School of Archival Studies. Details will be settled mutually.

Article 5

The Government of Guyana through the National Art Gallery will take an art Exhibition to India and in return will receive an exhibition from India during the year 2004. All costs for taking the exhibitions to the respective countries, preparation of brochures and other relevant material will be born by the country of origin. Details of in-country expenses will be worked out at a later date.

II. MISCELLANEOUS

Article 6

Both parties will undertake annual reviews of the progress of implementation of the provisions of the above cultural exchange programme. The reviews will be undertaken by local working groups consisting of a representative of the High Commission and representatives of the nodal Ministries / Departments.

Article 7

This programme does not exclude the implementation of any cooperation in the fields of art and Culture, youth affairs and sports, mass media etc. which may not be specifically included in this programme. Such activities may be finalized by mutual consultations through usual diplomatic channels.

Article 8

The general and financial provisions in respect of the exchange of artists, individuals / delegations and the exchange of the exhibitions will be worked out by mutual consultations through the usual diplomatic channels.

Article 9

Either party may revoke, whether in whole or in part, this Programme through a written communication to the other side. The revocation shall come into force six months after its communication. However, any ongoing programmes of cooperation shall continue until their completion.

Article 10

This programme shall be valid up to the 31st December 2006.

Done in New Delhi, on the third day of Bhadrapada, 1925 (SAKA) corresponding to the twenty-fifth day of August 2003 (AD) in two originals, each in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA

(YASHWANT SINHA)

MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS

(GAIL TEIXEIRA)

MINISTER OF CULTURE,

YOUTH AND SPORT

सितंबर 2003-दिसंबर 2006 की अवधि के लिए भारत गणराज्य की सरकार और गुयाना कोऑपरेटिव गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और गुयाना कोऑपरेटिव गणराज्य की सरकार;

दोनों देशों तथा उनकी जनता के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को सुदृढ़ बनाने और विकसित करने की इच्छुक होकर; सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने संबंधों को व्यापक बनाने की समान इच्छा से प्रेरित होकर;

30 दिसंबर 1974 को भारत गणराज्य की सरकार और गुयाना कोऑपरेटिव गणराज्य की सरकार के बीच जॉर्जटाउन में हस्ताक्षर किए गए सांस्कृतिक करार के आधार पर;

सितंबर 2003-दिसंबर 2006 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं :

कला और संस्कृति

अनुच्छेद-एक

गुयाना का संस्कृति, युवा और खेल-कूद मंत्रालय संसाधन, व्यक्तियों और सूचना की भागीदारी के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (गुयाना) के साथ आपस में संबंधों को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव करता है।

अनुच्छेद-दो

संस्कृति, युवा और खेल कूद विभाग मई, 2004 के प्रथम सप्ताह के दौरान गुयाना में आने और वहां प्रदर्शन करने के लिए भारत से एक सांस्कृतिक मंडली का स्वागत करेगा ।

- सांस्कृतिक मंडली के लिए कलाकारों का चुनाव करते समय भारत के उन क्षेत्रों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए जहां के सांस्कृतिक प्रदर्शनों में गुयाना में विशेष रूचि हो ।
- ये समूह उन परंपरागत लोक नृत्यों, संगीत, गीतों इत्यादि को प्रस्तुत करेंगे जिनका गुयाना में अभी भी अभ्यास किया जाता है ।

अनुच्छेद-तीन

दोनों पक्ष, नियमों और विनियमों के अध्यधीन, विचारों का आदान प्रदान करने और संबंधित अभिलेखागारों में उपलब्ध एक दूसरे की रूचि की सामग्रियों के ऐसे रिकॉर्डी की प्रतियों के परस्पर आदान प्रदान के लिए पता लगाने के लिए दो सप्ताह की अवधि हेतु एक पुरालेखपाल (आर्किविस्ट) का आदान प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-चार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेखीय अध्ययन के विद्यालय में गुयाना के अधिकारियों को अभिलेखागार प्रशासन/रिकॉर्डों के प्रबंधन/रिकॉर्डों के संरक्षण में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद-पांच

गुयाना सरकार वर्ष 2004 के दौरान एक कला प्रदर्शनी को राष्ट्रीय कला संग्रहालय के माध्यम से भारत ले जाएगी और बदले में भारत से एक प्रदर्शनी का स्वागत करेगी । संबंधित देशों तक प्रदर्शनियों को ले जाने, ब्रोशर और अन्य संगत सामग्री तैयार करने का व्यय मूल देश (कंट्री ऑफ ऑरिजिन) वहन करेगा । जिस देश में प्रदर्शनी लगाई जा रही है, वहां होने वाले व्यय के ब्यौरे बाद में तैयार किए जाएंगे ।

II. विविध

अनुच्छेद-छह

दोनों पक्ष उपर्युक्त सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की वार्षिक समीखा करेंगे । ये समीक्षाएं स्थानीय कार्यकारी समूह द्वारा की जाएंगी, जिसमें उच्चायोग का एक प्रतिनिधि और नोडल मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि होंगे ।

अनुच्छेद-सात

यह कार्यक्रम कला और संस्कृति, युवा मामलों और खेल कूद, जन संचार के माध्यम इत्यादि के क्षेत्रों में किसी सहयोग के कार्यान्वयन में बाघक नहीं है, जिन्हें इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो । ऐसे कार्यकलापों को सामान्य राजनयिक माध्यमों द्वारा परस्पर विचार विमर्श से अंतिम रूप दिया जाए ।

अनुच्छेद-आठ

कलाकारों, व्यक्तियों/शिष्टमंडलों के आदान प्रदान और प्रदर्शनियों के आदान प्रदान के संबंध में सामान्य और वित्तीय प्रावधान सामान्य राजनयिक माध्यम से परस्पर विचार विगर्श द्वारा तैयार किए जाएंगे ।

अनुच्छेद-नौ

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से अथवा इसके अंश को रद्द कर सकेगा । ऐसा पत्र भेजने के छह माह के भीतर यह प्रतिसंहरण (रीवोकेशन) लागू होगा । तथापि कोई सहयोग का जारी कार्यक्रम इसके पूरे होने की अवधि तक जारी रहेगा ।

अनुच्छेद-दस

यह कार्यक्रम 31 दिसंबर, 2006 तक वैध रहेगा ।

आज नई दिल्ली में ईसवी सन् दो हजार तीन के अगस्त माह के 25वें दिन, तदनुसार 3 माद्रपद 1925 शक को हिन्दी और अंग्रेजी के दो-दो मूल पाठों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं । संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(यशवन्त सिन्हा)

विदेश मंत्री

गुयाना कोऑपरेटिव गणराज्य की सरकार की ओर से

(क्लीमेंट जे रोही)

विदेश व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री